उत्तराखण्ड शासन
समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3
संख्या:– 329 /XVII-3/15-10(बजट)/2012
देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं प्रोत्साहन हेतु मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

<u>मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना नियमावली–2015</u>

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :–

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना, 2015 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

   (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषाएँ :–

इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

2. (क) राज्य सरकार, से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

   (ख) विभाग, से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अभिप्रेत है;

   (ग) प्रमुख सचिव/सचिव, से प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

   (घ) निदेशक, से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

   (ङ.) जिला स्तरीय अधिकारियों से जिले में पदस्थापित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है;

   (च) राजकीय सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसका वेतन राजकोष से आहरित होता हो एवं जिसकी सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 309 से आच्छादित होती है।

मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना (प्रथम भाग)

उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु योजना ।

अनुदान सहायता :–

3. (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–

संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अधोलिखित स्तर पर सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगीः–

(एक) **प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रू0 75000/मात्र।**

(दो) **मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू0 25000/– मात्र।**

अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(एक) **प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त –रू0 60,000/–मात्र।**

(दो) **मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू0 20,000/– मात्र।**

अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

अनुदान की पात्रता :–

4. (क) प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी , बौद्ध, जैन) का सदस्य हो।

(ख) प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सुसंगत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)

(ग) यह राशि उन सफल अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी, जिनके माता–पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो। (आय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो, जो अधिकतम 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो)।

(घ) अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय के अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने पर प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। द्वितीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

(ङ) यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं उत्तराखण्ड राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

(च) जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत/चयनित हैं, तो उन्हें इस योजना में परीक्षा के लिए लाभ दिया जायेगा। किन्तु उनकी एवं उनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतो से रू0 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(छ) अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी संज्ञेय वाद लम्बित न हो एवं न्यायालय से दण्डित न हो।

अनुदान स्वीकृति की शर्तें :–

5. उपरोक्त राशि के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला स्तरीय अधिकारी को आवेदन पत्र दिया जायेगा। जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा। पात्रता की निम्न जॉच के उपरान्त निदेशक के अनुमोदनोपरांत सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेंगी।

(क) प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन) का सदस्य हो।

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।)

(ख) प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल अथवा स्थायी निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सुसंगत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)

(ग) अभ्यर्थी द्वारा भारतीय सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

(घ) अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक की अधिकतम आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 4.50 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो (आय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो, जो अधिकतम 1 वर्ष से पुराना नहीं हो)

(ङ) अभ्यर्थी को एक शपथ–पत्र देना होगा कि उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है, तथा यह उल्लेख करना होगा कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौनसा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है, शपथ–पत्र में राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा।

(च) यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता हैं, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

(छ) किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेनीत (Carry Forward) नहीं किया जायेगा।

आवेदन की समय सीमाः–

6 योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु निम्नानुसार समय सीमा में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(क) भारतीय सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त आवेदन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा इस परीक्षा के साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा उच्च न्यायिक सेवा व प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त आवेदन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों का एक माह में निस्तारण किया जायेगा।

योजना की मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटन :–

7. मुख्यमन्त्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत योजना के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग जिला स्तर के अधिकारी तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के स्तर पर की जायेगी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा की जायेगी।

नियमों का विनिर्णय :–

8. इन नियमों की व्याख्या प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जायेगी, किसी भी विवाद में प्रमुख सचिव/सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण प्रोत्साहन योजना (द्वितीय भाग)

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना (द्वितीय भाग) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि निम्नानुसार प्रदान की जायेगी:—

संस्थान का नाम एवं देय अनुदान की राशि का विवरण —

1. **समूह (क)—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाऐं सम्मिलित है :—**

(एक) IITs (Indian Institute of Technology)

(दो) IIMs (Indian Institute of Management)

उक्त संस्थानों/परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि—रु0 60,000 मात्र।

समूह (ख)—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाऐं सम्मिलित है :—

(एक) AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(दो) IIS (Indian Institute of Scicnce) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

(तीन) IISAR (Indian Institute of Science and Applied Research) भारतीय विज्ञान एवं प्रायोगिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता एवं बंगलौर

(चार) MCI (Medical Council of India) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज

(पांच) AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान

(छ:) BCI (Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु

उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि रु0 50,000 मात्र।

2. उक्त समूह (क) अथवा (ख) के अन्तर्गत निर्धारित संस्थानों की परीक्षाओं में से किन्हीं दो या दो से अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी को केवल एक ही परीक्षा के सापेक्ष अनुदान राशि देय होगी, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो।

3. इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित अनुदान राशि अभ्यर्थी द्वारा उक्त संस्थानों की संगत परीक्षा में सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

4. इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता, अनुदान स्वीकृति की शर्तें, आवेदन की समय सीमा, योजना की मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटन तथा नियमों का विनिर्णय उसी प्रकार होगा जैसाकि इस नियमावली के भाग—प्रथम में नियत है।

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड,

शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधाईवाला, देहरादून।

मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

अभ्यार्थी जिस परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन कर रहा है उससे संबंधित बॉक्स में सही ✓ का निशान लगायें।

1.	भारतीय सिविल सेवा परीक्षा	
2.	उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	
3.	उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा	
4.	IIT's, AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s, CLAT,IIM's,IISAR (Kolkata & Bangalore), MCI (Medical Council of India)BCI (Bar Council of India)	

1.	प्रार्थी का नाम					राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो
2.	पिता का नाम					
3.	माता का नाम					
4.	जन्म तिथि					
5.	वर्तमान निवास स्थान का पता दूरभाष न. मोबाईल न. Email-id					
6.	स्थाई पता					
7.	शैक्षणिक योग्यता (सत्यापित प्रति संलग्न करें)					
8.	अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र संलग्न करें)					
9.	स्थाई / मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)					
10.	माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय, अभ्यार्थी की आय यदि है तो को सम्मिलित करते हुये(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)					
11.	उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षा का विवरण		भारतीय सिविल सेवा परीक्षा	उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा	IIT's, AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s, CLAT,IIM's,IISAR (Kolkata & Bangalore), MCI (Medical Council of India)BCI (Bar Council of India)
	प्रथम प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष				
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर				
		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण / मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण / साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम चयन)] अंकित करें।				
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण				
	द्वितीय प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष				
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर				

		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण /मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण/साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम चयन)] अंकित करें।				
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण				
12.	अन्य परीक्षा का विवरण		नाम परीक्षा	संस्थान आदि का पूर्ण विवरण		
13.	अभ्यार्थी यदि राजकीय सेवा में है, तो सेवा का विवरण					
14.	अभ्यार्थी का जिस बैंक में खाता है, उस बैंक का नाम एवं खाता संख्या (बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें) (सी.बी.एस.)		बैंक का नाम एवं ब्रांच का नाम			
			खाता संख्या IFSC Code			

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है, अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी तथा योजनान्तर्गत प्राप्त की गई समस्त राशि एक मुश्त मय ब्याज के विभाग को वापिस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होगा तथा विभाग को मेरे विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकारी होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेज :-

1. मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका/प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति।
5. प्रतियोगी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
6. पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने /न होने सम्बन्धी विवरण तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग सिविल सेवा परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयार हेतु ही किया जायेगा, सम्बन्धित अभ्यार्थी का शपथ पत्र

6\. बैंक पास. बुक की फोटो प्रति। (स्पष्ठ पठनीय)

7\. आधार नम्बर यदि हो।

कार्यालय के उपयोग हेतु

1.	प्रार्थी का नाम, अल्पसंख्यक समुदाय व पूर्ण पता अंकित करें।			
2.	प्राप्ति रजिस्टर में आवेदन की प्राप्ति का क्रमांक एवं दिनांक			
3.	आवेदन के पश्चात आवेदक को स्वीकृत राशि का विवरण एवं स्वीकृत दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अंतिम) किस्त
4.	आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा कराने का दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अंतिम) किस्त
5.	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण दिनांक सहित			

जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
के हस्ताक्षर एवं मोहर